संख्या– 1676/33–2–10–36जी/2009

प्रेषक,

आर0के0शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी
समस्त जिला पंचायतें, उ0प्र0 ।

पंचायतीराज अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 29 जून, 2010

विषय : वेतन समिति उ0प्र0 2008 के द्वितीय प्रतिवेदन भाग–1 में जिला पंचायतों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों के कम में दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति ।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए वेतन समिति का गठन संकल्प संख्या–वे0आ0– 2–870/दस–34(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 29 अगस्त, 2008 सपठित संकल्प संख्या–वे0आ0–2–824/दस–34(एस)/2008, दिनांक 22 अगस्त, 2008 द्वारा किया गया। उक्त समिति द्वारा अपना द्वितीय प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन भाग–1 की संस्तुतियों को सम्यक विचारोपरांत शासन द्वारा संकल्प संख्या–वे0आ0–2–251/दस–54(एम)/ 2008टी0सी0, दिनांक 07फरवरी, 2009 द्वारा निम्नानुसार स्वीकर कर लिया गया हैं।

(2) वेतन समिति के द्वितीय प्रतिवदेन भाग–1 को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप प्रदेश के जिला पंचायत के कर्मचारियों/अधिकारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(3) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन में निर्धारित वेतन दिनांक 01.01.06 अथवा दिये गये विकल्प की तिथि से देय होगा एवं महगांई भत्ते

की संशोधित दरें वेतन समिति की संस्तुति के अनुसार राज्य कर्मचारियों के समान देय होंगी ।

(4) वर्तमान में उपलब्ध कोई वेतनमान यदि संलग्न तालिका में सम्मिलित होने से छूट गया हो तो ऐसे वेतनमान के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन समान Considerations के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे।

(5) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण राजकीय कर्मचारियों / अधिकारियों के सम्बन्ध में वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन के माध्यम से की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार शासनादेश संख्या–वे0आ0–2 / 1318 / दस– 59(एम) / 2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के अनुसार किया जायेगा।

(6) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वार्षिक वेतन की वृद्धि दर एक समान तीन (03) प्रतिशत तथा वेतन वृद्धि की तिथि समान रूप से सभी कर्मचारियों / अधिकारियों के लिए वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन के माध्यम से राजकीय कर्मचारियों / अधिकारियों के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा शासनादेश सं0–वे0आ0–2 / 1318 / दस–59(एम) / 2008 दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के अनुसार 01 जुलाई रखी जायेगी।

(7) जिला पंचायतों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान / ए0सी0पी0 के रूप में निर्धारित सेवा अवधि पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अगला ग्रेड वेतन राजकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अनुमन्य किया जायेगा। इस सम्बन्ध में आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

(8) उक्त श्रेणी के कार्मिकों को शासनादेश संख्या–जी–1–953 / दस–2008–2008–226 / 2008 दिनांक 8.12.08 के अनुरूप मकान किराया भत्ता, शासनादेश संख्या–जी–1–954 / दस– 2008–227 / 2008, दिनांक 08.12.2008 के अनुरूप नगर प्रतिकर भत्ता की संशोधित दरें / व्यवस्था दिनांक 01.4.2010 से प्रभावी की जायेंगी।

(9). जिला पंचायतों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में पुनरीक्षित वेतन तथा मंहगाई भत्ता का दिनांक 01.4.2010 से नगद भुगतान किया जायेगा। " दिनांक 01.01.06 से दिनांक 31.3.2010 तक के अवशेष का किश्तों में भुगतान राजकीय कार्मिकों के समान अथवा अन्य किसी प्रकार जो राजकीय कर्मियों से अधिक आकर्षक न हो, से किये जाने के सम्बन्ध में अवशेष धनराशि का 20 प्रतिशत चालू वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जायेगा तथा अवशेष 80 प्रतिशत धनराशि के लिये प्रत्येक जिला पंचायत की वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रत्येक जिला पंचायत से शासन में प्राप्त प्रस्तावों पर पृथक–पृथक विचार कर निर्णय लिया जायेगा, किन्तु अवशेषों पर निहित व्यय भार जिला पंचायतों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा और राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में अलग से धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(10) जिला पंचायतों के कर्मचारियों/अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना, भत्ते एवं सुविधाओं तथा अन्य लाभ दिये जाने के फलस्रूप आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी और इसे वहन करने का उत्तरदायित्व संबंधित जिला पंचायत का होगा।

(11) राज्य सरकार द्वारा जिला पंचायतों को संकमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि में से कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु आवश्यक धनराशि को आरक्षित करते हुए शेष बची धनराशि तथा अन्य श्रोतों से हुई आय की धनराशि से संबंधित ज़िला पंचायत अपनी अन्य विकास संबंधी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति सुनिश्चित करेंगे। संकमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु आवश्यक धनराशि से कम होने की स्थिति में अपने श्रोतों से एकत्र धनराशि में से कमी की पूर्ति किये जाने के उपरांत अवशेष धनराशि का उपयोग विकास कार्यों हेतु किया जायेगा।

(12) जिला पंचायत के कर्मचारियों/अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना, भत्ते एवं सुविधाएं तथा अन्य लाभ इस प्रतिबंध के साथ अनुमन्य कराये जायेंगे कि उक्त से आने वाले व्ययभार को वहन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की

वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी तथा ऋणदाता वित्तीय संस्थाओं के देयों अथवा शासकीय देयों, यदि कोई हों, के भुगतान में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। जिला पंचायत को अपने कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ अनुमन्य कराये जाने से अधिष्ठान व्यय में होने वाली वृद्धि के आधार पर ऋणदाता संस्थाओं एवं शासकीय देयों, यदि कोई हों, के भुगतान में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

(13) जिला पंचायतों के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना, भत्ते एवं सुविधायें तथा अन्य लाभ इस प्रतिबंध के साथ अनुमन्य कराये जायेंगे कि इसके फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को संबंधित जिला पंचायत द्वारा ही वहन किया जायेगा तथा इससे जिला पंचायत के क्षेत्रान्तर्गत जन सामान्य को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(14) जिला पंचायत के कर्मचारियों / अधिकारियों की वर्तमान संख्या को अगले 02 वर्षों तक इस प्रतिबंध के साथ फ्रीज रखा जायेगा कि अपरिहार्य परिस्थितियों में ही राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से यथावश्यकता पदों की संख्या में वृद्धि की जा सकेगी। वर्तमान में जो पद बिना सक्षम स्तर/ राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त किये हुए सृजित हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा अथवा सक्षम स्तर से ऐसे पदो के सृजन की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। इसके साथ ही भविष्य में नये पदों का सृजन बिना शासन की अनुमति के नहीं किया जायेगा।

(15) वेतन समिति (2008) के द्वितीय प्रतिवेदन भाग–1 के प्रस्तर–39 (समूह–ग एवं समूह–घ के तकनीकी पदों पर भर्ती जिला स्तरीय चयन समिति की संस्तुति पर किये जाने संबंधी संस्तुति तथा उप प्रस्तर–6 के पूर्वार्ध में अंकित अंश को छोड़कर) एवं प्रस्तर–40 में दिये गये सुझावों को स्वीकार किया गया।

(16) इस शासनादेश के जारी होने के दिनांक से प्रदेश के जिला पंचायत में पदों पर भर्ती, पदों का सृजन तथा अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही किया जायेगा।

(17) संलग्न तालिका के कमांक–15 व 16 पर इंगित वेतनमान रूपये 8000–13500 के सभी पदों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही वेतन बैण्ड, वेतन बैण्ड–3 (रू015,600–39100) तथा ग्रेड वेतन रू0 5400 अनुमन्य कराया जाय।

परन्तु वैयक्तिक वेतनमान रू08000—13500 के ऐसे पद धारकों जिनके लिए इससे उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था भी उपलब्ध न हो, के लिए 8000—13,500 के वेतनमान को पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू05400 के साथ वेतन बैण्ड—2 (रू09300—34800) में रखा जायेगा।

(18)— यह आदेश वित्त के अशासकीय संख्या—वे0आ0—562 / दस—10, दिनांक 31 मई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

संलग्नक : यथोपरि ।

भवदीय,

(आर0के0 शर्मा)
प्रमुख सचिव ।

संख्या—1676 (1) / 33—2—10—तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2— समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उ0 प्र0 ।
3— मुख्य विकास अधिकारी / मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0 ।
4— उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक,उ0प्र0, लखनऊ ।
5— निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0, लखनऊ ।
6— निदेशक, पंचायतीराज (लेंखा), उ0प्र0, लखनऊ ।
7— वित्त (वे0आ0) अनुभाग—2, उत्तर प्रदेश शासन ।
8— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—2.
9— वित्त (सामान्य) अनुभाग—1 / 2.
10— पंचायतीराज अनुभाग—1 / 3.
11— अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो
12— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम0 ऐस0 फारूकी)
उप सचिव ।

संख्या– 1676 /33–2–2010–36जी/2009 दिनांक 29 जून, 2010 का
संलग्नक :

क0स0	वर्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतन संरचना		
		वेतन बैण्ड/वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतनबैण्ड/वेतनमान (रू0)	सादृश्य ग्रेड वेतन (रू0)
1	2	3	4	5
1	2550–55–2660–60–3200	–1एस	4440–7440	1300
2	2610–60–3150–65–3540	–1एस	4440–7440	1400
3	2650–65–3300–70–4000	–1एस	4440–7440	1650
4	2750–70–3800–75–4400	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1800
5	3050–75–3950–80–4590	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1900
6	3200–85–4900	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2000
7	4000–100–6000	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2400
8	4500–125–7000	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2800
9	4500–125–7250	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2800
10	5000–150–8000	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4200
11	5500–175–9000	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4200
12	6500–200–10,500	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4200
13	7450–225–11500	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4600
14	7500–250–12000	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4800
15	8000–275–13500	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	5400
16	8000–275–13500	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	5400
17	8550–275–14600	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	5400
18	10000–325–15200	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	6600
19	10650–325–15850	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	6600
20	12000–375– 16500	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	7600
21	14300–400–18300	वेतन बैण्ड–4	37400–67000	8700
22	16400–450–20000	वेतन बैण्ड–4	37400–67000	8900

(एम0एस0फारूकी)
उप सचिव ।